न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वा संख्या-68/2021

द प्रस्तुति दिनांक-20.07.2021

र्णय दिनांक-28.09.2022

रामरतन पुत्र छीतर जाति गूजर निवासी ग्राम बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र छीतर जाति गूजर निवासी ग्राम बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक हाल निवासी प्लॉट नं. 08 महादेवाली टोंक तह0 व जिला टोंक (राज0)
2. रामदेव पुत्र छीतर जाति गूजर निवासी ग्राम बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक हाल निवासी प्लॉट नं. 54/18 सरयू मार्ग, मानसरोवर जयपुर (राज0)
3. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रतिवादीगण

धिवक्ता वादी-श्री चतुर्भुज गुर्जर

धिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01-श्री कमलेश कुमार गुर्जर

धिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02-श्री शंकरलाल चौधरी

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात

अन्तर्गत धारा 53 रा.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1339, 25, 299, 300, 565, 649, 651, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 660, 665, 666, 668, 762 व ख0न0 788 कुल केता 19 कुल रकबा 12.6577 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 320 रकबा 0.1897 हैक्ट. व भूमि ख0न0 650 रकबा 3794 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां पटवार हल्का बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का है। उक्त वर्णित आराजीयात विभाजित है। जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा है किन्तु मौके पर पक्षकारान् ने अपनी भूमि का बंटवारा रके काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन विधिवत् विभाजन नहीं होने के कारण पक्षकारान् में आये दिन मेर, ढोल आदि को लेकर विवाद होता रहता है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता ला आ रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 मिलकर खेतों की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद करते है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

इस कारण वादी का अपने हिस्से की भूमि का विधिवत् विभाजन करवाकर अपनी पृथक से जमाबंदी तैयार करवाया जाना आवश्यक है। इसलिए पक्षकारों के बीच विधिवत् तकास्मा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार गुर्जर ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश कर कथन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा हैं किन्तु मौके पर पक्षकारान् ने अपनी भूमि का बंटवारा करके काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंटवारा कर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। इसी अनुसार भाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तकास्मा किया जावे। अतः प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार तकास्मा किया जावे। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल चौधरी ने वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य तकास्मा काफी समय पहले हो चुका है और प्रतिवादी संख्या 02 पूर्व में हुए तकास्में के अनुसार ही मौके पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी अपने हक व हिस्से की भूमि पूर्व में हुए तकास्मा के बाद भूमि में काफी खाद व अन्य उर्वरक डालकर भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बना लिया है और अब वादी की नियत में बेईमानी आ गई है। जिससे पुनः तकासमा करवाने के लिए यह वाद पेश किया है। मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 वव 02 पूर्व में हुए तकास्मा के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य मेर, डोल का कोई विवाद नहीं नहीं है। प्रतिवादी संख्या 02 ने विशेष आपत्तिया प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य काफी समय हो चुका है और प्रतिवादी संख्या 02 पूर्व में हुए तकास्में अनुसार ही मोके पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी अपने हक हिस्से की भूमि में खाद व उर्वरक डालकर उपजाउ बना लिया है और अब वादी की नियत में बेईमानी आ गई है। जिससे पुनः तकास्मा करवाने के लिए वाद पेश किया है। मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य मेर, ड़ोल का कोई विवाद नहीं है। वादी की नियत में बेईमानी आ जाने से प्रतिवादी संख्या 02 के हक व हिस्से में पूर्व में तकास्मा होकर जो भूमियां आयी हुई है। उनको प्रतिवादी संख्या 02 ने पैसा खर्च करके तथा उर्वरक डालकर, मेहनत करके अत्यधिक उपाड बना ली है। वादी संख्या 02 के हिस्से में आयी भूमियां को छिनने के नीयत से यह वाद पेश किया है। आराजीयात का जब एक बार तकास्मा हो चुका है तो पुनः तकास्मा करवाने की कोई आवश्यक नहीं है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 02 मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया। हमने बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। विवादित भूमि आराजी ख0न0 1339, 225, 299, 300, 565, 649, 651, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 660, 665, 666, 668, 762 व ख0न0 788 कुल किता 19 कुल रकबा 12.6577

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 320 रकबा 0.1897 हैक्ट. व भूमि ख0न0 650 रकबा 0.3794 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां पटवार हल्का बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन किये जाने पर सहमति जताई। वादपत्र में संलग्न जमाबंदी के अवलोकन किया गया। उक्त वर्णित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि होने एवं राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि की विभाजन के हकदार होने के कारण उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर कब्जे व हक, हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था, साथ ही तहसीलदार पीपलू को आदेशित किया जाता हैं उक्तानुसार मय नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में तकास्मा रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय हाजा को भिजवाये। उक्तानुसार तकास्मा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तहसीलदार पीपलू के पत्रांक–भू.अ./2022/4829 दिनांक 13.09.2022 से न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम बोरखण्डी कलां स्थित भूमि आराजी ख0न0 225 रकबा 2.2002 हैक्ट., ख0न0 657 रकबा 0.2276 हैक्ट., ख0न0 658/2 रकबा 1138 हैक्ट., ख0न0 659/1 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 660/2 रकबा 0.1264 हैक्ट., ख0न0 665/1 रकबा 7460 हैक्ट., ख0न0 666/2 रकबा 0.0631 हैक्ट., ख0न0 788 रकबा 0.7461 हैक्ट., ख0न0 1339/3 रकबा 464 हैक्ट. कुल किता 09 कुल रकबा 4.3834 हैक्ट. वादी रामरतन पुत्र छीतर हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 299 रकबा 1.2266 हैक्ट., ख0न0 300 रकबा 0.4046 हैक्ट., ख0न0 320 रकबा 0.1897 हैक्ट., ख0न0 565/2 रकबा 0.9484 हैक्ट., ख0न0 650/1 रकबा 0.0759 हैक्ट., ख0न0 652 रकबा 0.1644 हैक्ट., ख0न0 653 रकबा 0.1012 हैक्ट., ख0न0 658/1 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 5/2 रकबा 0.0506 हैक्ट., ख0न0 666/1 रकबा 0.6197 हैक्ट., ख0न0 668 रकबा 0.3288 हैक्ट., ख0न0 39/2 रकबा 0.0464 हैक्ट. कुल किता 12 कुल रकबा 4.2701 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 कन्हैयालाल पुत्र छीतर हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिराना (ख0न0 320 बिला रहन) के नाम रिकॉर्ड रहेगा व भूमि आराजी ख0न0 565/1 रकबा 0.7587 हैक्ट., ख0न0 649 रकबा 0.4173 हैक्ट., ख0न0 /2 रकबा 0.3035 हैक्ट., ख0न0 651/2 रकबा 0.7335 हैक्ट., ख0न0 762 रकबा 2.0611 हैक्ट., खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

1339/1 रकबा 0.0463 हैक्ट. कुल किता 06 कुल रकबा 4.3204 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 02 रामदेव पुत्र छीतर हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 651/1 रकबा 0.0252 हैक्ट., ख0न0 656 रकबा 0.0759 हैक्ट. किस्म गै.मु.चाह, ख0न0 659/2 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 660/1 रकबा 0.0380 हैक्ट. कुल किता 04 कुल रकबा 0.2529 हैक्ट. वादी रामरतन पुत्र छीतर हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, प्रतिवादी संख्या 01 कन्हैयालाल पुत्र छीतर हिस्सा 1/3 राहिन बी.ओ.बी. शाखा झिराना जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, प्रतिवादी संख्या 02 रामदेव पुत्र छीतर हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner